

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****रिट - सी संख्या - 6327/2026**

श्रीमती राणा याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, लखनऊ के माध्यम से
उत्तर प्रदेश राज्य, और 3 अन्य प्रतिवादीगण(ओं)याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : मोहम्मद रजीउल्लाह, गयासुद्दीन,
जरताब कमर

प्रतिवादीगण(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 3**माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल**

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद रजीउल्लाह और राज्य-
प्रतिवादियों के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री बट्टीश कुमार
त्रिपाठी को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

2. यह याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहतों के लिए
दायर की गई है:

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"(i) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 02.06.2026 को पारित आदेश संख्या 1040/जि०पू०अ०/दु०अनु०/2026 को निरस्त करने के लिए उत्प्रेक्षण प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(ii) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 02-06-2026 को दिए गए कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के फैसले के आलोक में याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित मूल्य की दुकान संख्या 10270002 के अनुकंपा आवंटन पर विचार करने और उसे प्रदान करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए परमादेश प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए;

(iii) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता को केवल इसलिए अनुकंपा आवंटन के लिए विचार से वंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह एक विवाहित पुत्री हैं;

(iv) प्रतिवादियों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर याचिकाकर्ता के पक्ष में उचित आवंटन आदेश जारी करने का निर्देश दिया जाए;"

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की माता एक उचित मूल्य दुकान की विक्रेता थीं और उनका निधन 24.12.2025 को हो गया था। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य दुकान विक्रेता के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन जिला आपूर्ति अधिकारी, लखनऊ ने दिनांक 02.06.2026 के आदेश द्वारा इसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि याचिकाकर्ता,

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विवाहित पुत्री होने के नाते, उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु (बिक्री और वितरण नियंत्रण विनियमन) आदेश, 2016 (जिसे आगे "आदेश, 2016" कहा गया है) के खंड 2(पी) में उल्लिखित "परिवार" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती है। यह भी दलील दिया गया है कि विवादित आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुलसुम निशा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य बनाम 2026 एससीसी ऑनलाइन एससी 1059 के मामले में, मामले में दिए गए निर्णय के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार किया और 2016 के आदेश के प्रावधानों पर विचार करने के बाद यह पाया कि विवाहित पुत्री भी "परिवार" की परिभाषा में शामिल है, बशर्ते वह मृतक के उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता पर अपनी निर्भरता से संबंधित शर्तों को पूर्ण करती हो, और उसे केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में नियुक्ति के लिए विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है।

4. विद्वान अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने उपरोक्त कानूनी और तथ्यात्मक स्थिति पर कोई विवाद नहीं किया। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कुलसुम निशा (उपरोक्त) के मामले में यह भी पाया कि यद्यपि विवाहित पुत्री "परिवार" की परिभाषा में शामिल है और अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में नियुक्त होने की हकदार होगी, लेकिन यह पात्रता केवल

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मृतक उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता पर उसकी निर्भरता का प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही उत्पन्न होगी।

5. तदनुसार, पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का अंतिम निस्तारण बिना किसी प्रतिवाद शपथपत्र के किया जा रहा है।

6. विवादित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी माता की मृत्यु के बाद अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता के रूप में नियुक्ति के लिए दायर आवेदन को केवल इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि विवाहित पुत्री होने के कारण वह आदेश, 2016 के खंड 2(पी) के अंतर्गत "परिवार" की परिभाषा में नहीं आती है। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि आदेश, 2016 के खंड 2(पी) में प्रयुक्त "पुत्री" शब्द में विवाहित पुत्री भी शामिल है, बशर्ते वह आश्रितता प्रमाण पत्र के साथ-साथ परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश, 2016 के खंड 2(पी) की व्याख्या करते हुए आगे कहा कि शाब्दिक व्याख्या अपनाने के बजाय, उन मामलों में उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनाई जानी चाहिए जहां कानून कल्याणकारी उद्देश्य से बनाया गया हो। कुलसुम निशा (उपरोक्त) के अनुच्छेद 26 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

"26. उपरोक्त कारणों से, 2016 के आदेश के खंड 2(पी) के उद्देश्यपूर्ण अर्थ के आधार पर, हम मानते हैं कि उपर्युक्त प्रावधान में प्रयुक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभिव्यक्ति "बेटियाँ" में एक विवाहित बेटी भी शामिल है जो मृतक व्यापारी के अन्य वयस्क परिवार के सदस्यों से अनापति प्रमाण पत्र के साथ आश्रितता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करती है, स्थानीय निवासी है और सरकारी आदेश में निर्धारित अन्य सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती है। इस प्रकार व्याख्या किए जाने पर, प्रावधान न तो अमान्य होगा और न ही संवैधानिक रूप से दोषपूर्ण। यह अपने उद्देश्य के प्रकाश में समझे जाने पर अपने मूल अर्थ से ही सुरक्षित है।”

7. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय से यह स्पष्ट है कि यदि विवाहित बेटी स्थानीय निवास, मृतक के उचित मूल्य की दुकान पर आश्रितता और परिवार के अन्य वयस्क सदस्यों की अनापति जैसी अन्य शर्तों को पूरा करती है, तो उसे अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य की दुकान विक्रेता के रूप में नियुक्त होने से वंचित नहीं किया जा सकता है।

8. तदनुसार, रिट याचिका का **निस्तारण** निम्नलिखित टिप्पणियों/निर्देशों के साथ किया जाता है:

(i) प्रतिवादी संख्या 3, जिला आपूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा दिनांक 02.06.2026 को पारित विवादित आदेश को **निरस्त** किया जाता है।

(ii) मामले को संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जाता है ताकि वह याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य दुकान विक्रेता के पद पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **कुलसुम निशा (उपरोक्त)** मामले में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

दिए गए अवलोकन को ध्यान में रखते हुए, जिसमें यह माना गया है कि किसी पुत्री को केवल उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण अनुकंपा के आधार पर उचित मूल्य दुकान विक्रेता के पद पर नियुक्ति के लिए विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है और यदि वह मृतक उचित मूल्य दुकान विक्रेता पर आश्रित होने सहित अन्य शर्तों को पूरा करती है, तो वह कानून के अनुसार ऐसी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की हकदार होगी, नियुक्ति के लिए आवेदन पर इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर उचित निर्णय ले सके।

17 जून, 2026

एसए

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।